राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / से.नि–1 / 2019 / दिनांकः–

–ःआदेशः–

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता हैः–

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	कुन्दन सिंह राजपुरोहित	नर्स–1	पाली	01.01.1960	31.12.2019
2	जगदीश लाल खटीक	नर्स–1	चित्तौड़गढ़	25.03.1960	31.03.2020
3	गीता वर्मा	नर्स–1	अजमेर	03.04.1960	30.04.2020
4	विजय कुमारी शर्मा	नर्स–1	अजमेर	01.07.1960	30.06.2020
5	वल्ली मोहम्मद	नर्स–1	जैसलमेर	25.05.1960	31.05.2020
6	बलसम्मा ई.वी.	नर्स–1	जयपुर	05.04.1960	30.04.2020
7	गोपाल लाल वर्मा	न0अ0	अजमेर	02.04.1960	30.04.2020
8	जुबेदा चिश्ती	नर्स–1	अजमेर	01.01.1960	31.12.2019
9	दयानन्द यादव	नर्स–1	अलवर	21.04.1960	30.04.2020
10	लल्लू राम गुप्ता	नर्स–1	जयपुर	07.09.1960	30.09.2020
11	मगल सिंह	नर्स–1	सिरोही	01.02.1960	31.01.2020
12	ओमप्रकाश सांखला	नर्स–1	नागौर	16.07.1960	31.07.2020
13	राजेश दाधीच	नर्स–1	जोधपुर	02.06.1960	30.06.2020
14	गणपत लाल जोशी	नर्स–1	पाली	01.02.1960	31.01.2020
15	सरस्वती अम्मा आर	नर्स–1	उदयपुर	30.05.1960	31.05.2020
16	भंवर लाल गुर्जर	नर्स–1	चित्तौड़गढ़	05.06.1960	30.06.2020
17	प्रभु लाल	नर्स–1	चित्तौडगढ़	01.04.1960	31.03.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरूद्ध आज दिनांक तकः–

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लंबित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन / लंबित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लंबित नही है।

- Sd -
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / से.नि–1 / 2019 / 439
दिनांक. 30.09.2019.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पेशन एंव पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर